क्षेणी, दुमका के क्रि0 वाद सं0 110/1995 में पारित आदेश एवं सुलहनामा आवेदन की सच्ची प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला विपक्षी के पिता मानदेव मंडल एवं भवानी मंडल के बीच था, में उल्लेख है कि दाग सं0 76 में भवानी मंडल एवं सुकदेव मंडल द्वारा 01–04–00 धूर (एक बीघा चार कठ्ठा) एवं 08 कठ्ठा में दखलकार है जो उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0डी0 वाद सं0 127/1949–50 एवं एस0आर0 वाद सं0 272/1950–51 में प्राप्त किया है। प्रथम पक्ष यानी मानदेव मंडल प्रधान होने के नाते उनके द्वारा उक्त दाग का बंगला साल 1361 एवं 1362 का लगान स्वीकार किया गया है। उक्त जमींन पर प्रथम पक्ष अर्थात् प्रधान स्वीकार किया गया है कि द्वारा किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे।

उक्त सुलहनामा आवेदन से स्पष्ट है कि आवेदकों के पूर्वजों के समय अर्थात् 1950–51 के पूर्व से उक्त दाग सं0 76 के जमींन को खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है। उक्त सुलहनामा के आवेदन के आधार पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को इस विवाद का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में शरण लेन का आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित किया जाता है। चुँकि पी0डी0 वाद सं0 127/1949–50 एवं एस0आर0 वाद सं0 272/1950–51 में निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है जिसमें अमींन प्रतिवेदन एवं नक्शा संलग्न है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 14/2014–15

बलदेव मंडल ..... आवेदक

बनाम

रामनाथ मंडल .....विपक्षी

।। आदेश ।।

27/05/2016 यह आर0एम0आर0 सं0– 14/2014–15 बलदेव मंडल बनाम रामनाथ मंडल, मौजा लतापाकड़ टोला अम्बाडंगाल, अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आवेदन पत्र वाद सं0 291/13 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के दावों के अनुसार उन्हें मौजा अम्बाडंगाल के दाग सं0 76 एवं 99 में पी0डी0 वाद सं0 127/1949–50 एवं एस0आर0 वाद सं0 272/1950–51 आदेश दिनांक 21.06.1951 को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा जमींन बन्दोबसती प्राप्त किये है जिसमें विपक्षी द्वारा आपत्ति एवं जबरन जोतने के कारण उन्हें रोकने हेतु आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया जिसपर निम्न न्यायालय द्वारा इसे हक एवं अधिकार से संबंधित मामला मानते हुए पक्षकारों को सक्षम न्यायालय में शरण लेने हेतु आदेश पारित किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

उभय पक्षों द्वारा लिखित बहस के साथ कागजात दाखिल किया गया है। आवेदक के दावों के अनुसार मौजा के दाग सं0 76 में रकवा 01–04–00 धूर (एक बीघा चार कठ्ठा) एवं दाग सं0 99 में 00–06–14 धूर (छः कठ्ठा चौदह धूर) जमींन की बन्दोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0डी0 वाद सं0 127/1949–50 एवं एस0आर0 वाद सं0 272/1950–51 आदेश दिनांक 21.06.1951 द्वारा प्राप्त है। निम्न न्यायालय के आदेश में विपक्षी का कहना है कि आवेदक को दाग सं0 76/110 एवं 99/225 में ही दावा बनाता है। चुँकि वर्त्तमान सर्वे में दाग सं0 76/110 रकवा 30 डीसमल एवं दाग सं0 99/225 में रकवा 15 डीसमल आवेदक के नाम से दर्ज है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया है कि आवेदक को दाग सं0 76 पर कोई बन्दोबस्ती नहीं है किन्तु उपलब्ध कागजातों के अनुसार भवानी मंडल के नाम से उक्त दाग में 01–04–00 धूर (एक बीघा चार कठ्ठा) जमींन की बन्दोबस्ती दर्शाया गया है। अभिलेख में दाखिल श्री जे0एस0 सिंह दण्डाधिकारी प्रथम